कार्यालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां, जिला बारां (राज0)

क्रमांकः– स्टेनो / प्रशा. / 29 दिनांक :–25.04.2021

–:: कार्यालय आदेश ::–

Hon'ble Mr. Justice Mohan M. Shantanagoudar, Judge Supreme Court of India के आकस्मिक निधन हो जाने के कारण, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक ई.वी. / 07 / 2021 दिनांक 25.04.2021 के द्वारा **दिनांक 26.04.2021(सोमवार)** को अवकाश घोषित किया गया है।

अतः मैं ऋतु मीणा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां एतद्द्वारा धारा 14 व 15(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता की शक्तियों का प्रयोग करते हुए और श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां से प्राप्त मौखिक अनुमति के आधार पर उक्त **दिनांक 26.04.2021(सोमवार) राजकीय अवकाश** के लिए, आवश्यक प्रकृति के दाण्डिक कार्य जैसे बेल, रिमाण्ड, सुपुर्दगी, मृत्युकालिन कथन आदि कार्य हेतु निम्न न्यायिक अधिकारीगण की डयूटी उनके मुख्यालय पर लगाती हूँ, जो अपने पदस्थापन मुख्यालय पर उपस्थित रहकर संबंधित ब्लॉक में स्थित न्यायालयों के क्षैत्राधिकार से संबंधित उपरोक्त आवश्यक कार्य का सम्पादन करेंगे।

क0 सं0	दिनांक	बारां +अंता + मांगरोल + किशनगंज + शाहाबाद ब्लॉक	अटरू + छबड़ा + छीपाबड़ोद ब्लॉक
01	26.04.2021 (सोमवार)	श्रीमती बीना मीना, न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां मो0नं0–8233969059	श्री पंकज कुमार काबरा अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू– मो0नं0–9214982892

उक्त न्यायिक अधिकारीगण से अपेक्षा की जाती है कि वे उक्त तिथि पर अपने मुख्यालय पर उक्त कार्य के निष्पादन हेतु उपलब्ध रहेगें। बिना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां को सूचना दिये अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेगें। किसी विशेष परिस्थितियों में श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां से पूर्व अनुमति लेते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सुझाव देते हुए अपना मुख्यालय छोड़ सकेगें।

नोटः– उपरोक्त के अलावा संबंधित थानाधिकारी अपने मूल न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, यदि वह अपने मुख्यालय पर मौजूद है, से भी रिमाण्ड आदि ले सकेंगे तथा आवश्यक कार्य कर सकेंगे।

-sd-
(ऋतु मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां
जिला बारां(राज0)

क्रमांक :– 484 दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां
2. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, बारां को प्रेषित कर लेख है कि बारां जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र के थानाधिकारियों को आदेश से सूचित करने का श्रम करें।
3. संबंधित अधिकारी श्री............
4. थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली बारां।
5. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय, बारां को बारां न्याय क्षेत्र की Website -dictricts. ecourts. gov.in/baran पर इस आदेश को अपलोड करने हेतु।
6. कार्यालय प्रति ।

(ऋतु मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां
जिला बारां(राज0)